प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 4 जनवरी, 2021

विषय: मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली की क्षमता वर्ष 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 330 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 222 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 244.20 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-64/दो-प्रा0डी0-3/सुपीरियर, दिनांक 11.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्र दिनांक 12.10.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली की क्षमता वर्तमान प्रतिदिन 74 हजार लीटर अल्कोहल उत्पादन यथावत रखते हुये आसवनी की स्वीकृत कार्यकारी दिवस 300 दिन से बढ़ाकर 330 दिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 222 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 244.20 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।